

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री धीरज कुमार पुत्र श्री गजोधर  
अनुक्रमांक- 149448558  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- परसण्डा तहसील- बीघापुर थाना- बिहार  
जनपद- उन्नाव- 209867

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में परित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलाव पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारपरान्त एक अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशील स्टाम्प पेपर पर टक्कित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णपैण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिक्रिया पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तर्थों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमोनापुसीभ०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री समीर कुमार पुत्र श्री भिखारी राम  
अनुक्रमांक- 143348866  
निवासी- ग्राम - रीवा पोस्ट- अखितयारपुर थाना- करगहर  
जनपद- रोहतास (बिहार)- 821108

विषय:- उपनिरीक्षक नामुपु(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मार्ग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उम्र 30 राज्य में परित अंतिम निर्णय के अधीन विकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामुपु के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलाव पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारेपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में से एडवांस, घनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेदसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेदसाइट पर एवं टक्कित कराकर प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टक्कित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णस्वेच्छा अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकत न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निमोनि पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिषेव को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका भिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उनिनोनापु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री बबलू पाल पुत्र श्री रमेश पाल  
अनुक्रमांक- 143308730  
निवासी- ग्राम -नियामतपुर पोस्ट- सिम्हारा कासिमपुर थाना- सिरसाकलार  
जनपद- जालौन- 285130

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सन्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले दैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत होने होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । अपने साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान कोई यात्रा भूत्ता देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भूत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अधीक्षण संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका भिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अमरपाल सिंह  
अनुक्रमांक- 149426381  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- सौंटा थाना- बाबरी  
जनपद- शामली- 251301

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चित्रित सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में प्राप्त साइज 10 फोटो/ रु 4000 में स्तर एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर पर टैक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टैक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 स्तेन्ड कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करायीलय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहानपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोयाफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिग्रह दिशानिर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उनिमापुरसीभ-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री विवेक कुमार पुत्र श्री हेमेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक- 130208676

निवासी- ग्राम व पोस्ट- राजोपुर सादात थाना- कोतवाली देहात तहसील- नगीना

जनपद- विजनौर- 246764

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अद्वितीय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से प्रशिक्षण संस्थान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा । तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर टैक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टैक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णपैण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई झिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक्रम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(३०निं०ना०प००सी०भ०-२०१६)२०१९ दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा मैं,

मो०० इमरान अहमद पुत्र मो०० असलम अहमद

अनुक्रमांक- 149408592

निवासी- ग्राम व पोस्ट- अहमदपुर थाना- रामपुर(मण्डी समिति) मनिहारन

जनपट- सहारनपुर- 247451

विषय:- उपनिरीक्षक ना०प००(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा०० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम ३०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प०० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान में प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियत स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तेथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके समस्त कार्यालयी चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टव्यत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमापुसीभ०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री दीपक यादव पुत्र श्री सत्यपाल यादव  
अनुक्रमांक- 255490709  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- ओ० फुलेरा तहसील-खेकडा थाना- चॉटीनगर  
जनपद- बागपत- 250101

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, भेरू परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका भिलान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उनिमीठोपुसी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल शर्मा  
अनुक्रमांक- 130230654  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- समयपुर थाना- मुण्डली  
जनपद- मेरठ- 250004

विषय:- उपनिरीक्षक नामुपु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मात्रा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामुपु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले दौर में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विद्यारोपान्त एक अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कराना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्द्धों का पूर्णस्पेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निमीठोपुसी उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह  
अनुक्रमांक- 101031074  
निवासी- ग्राम -फतियाबाद निठोरा पोस्ट- चिरौड़ी थाना- लोनी  
जनपद- गाजियाबाद- 201102

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ता- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सन्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ता वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इहें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मर्द्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अधीक्षण संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक्षण दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उत्तरप्रदेश-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल  
अनुक्रमांक- 201022303  
निवासी- इन्द्रापुरी गली नं-0-2 मोटीनगर थाना- मोटीनगर  
जनपद- गाजियाबाद- 201204

विषय:- उपनिरीक्षक नाम पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मार्ग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपरोक्त राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र स्त्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाम पुलिस प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपन्न एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडीO एवं पर्याप्त संख्या में प्राप्ति साइज 10 फोटो / रु 4000 में एवं डबलांस, वहनों के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर यायेंगे तथा इहें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर ऐप पर टॅक्टिक लोटरी से सत्यापित कराकर प्राप्त -1 एवं 2 में क्रमशः 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर टॅक्टिक लोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेन अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डीन, लखनऊ में योजित विशेष अधीन संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निर्णय पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित क्रार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तर्फों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिग्रहण दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विपिन कुमार गुप्ता  
अनुक्रमांक- 103149889  
निवासी- ग्राम -वर्वाँ विद्यापति पोस्ट- शिकारपुर थाना- कोतवाली शहर  
जनपद- महाराजगंज- 273302

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा प्रशिक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारपरावृत्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकत न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिषेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उत्तरपुलिसीभा०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह पात्र  
अनुक्रमांक- 243306751  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- बरखेरा थाना- कोतवाली कालपी  
जनपद- जालौन- 285203

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य द्वान 30/र राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र संत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिम प्रगिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-८-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्यत देतिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिम प्रगिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान से दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु दुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक दिचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त ईंशिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्चान्स संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, घरने के वस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टान्प पेपर पर टक्कित कराकर तथा नोटरी से संत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेषण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अधीक्षण संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य द्वान 30/र राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकत्र न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं ने पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कामिंक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कामिंक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिषेक को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोयाफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमानोपुस्तीभ-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री गौरव कुमार पुत्र श्री नरपाल सिंह

अनुक्रमांक- 230208772

निवासी- म0नं0- 294/04 मो0- साहित्यविहार निकट बालाजी मंदिर थाना- कोतवाली शहर

जनपद- बिजनौर- 246701

विषय:- उपनिरीक्षक नामपु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपरोक्त राज्य में परित अंतिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामपु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णपूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे परित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक अधिकारी  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई झिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा मे,

श्री निषेन्द्र कुमार पुत्र श्री घसीटा सिंह  
अनुक्रमांक- 230209758  
निवासी- ग्राम -अमीरपुर गंगू पोस्ट- धोवलपुर थाना- कोतवाली शहर  
जनपद- बिजनौर- 246728

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन विकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान मे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान मे उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेषण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अधीन संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकत्र न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निल पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

रोता मे,  
श्री अधिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री नंद कुमार सिंह  
अनुक्रमांक- 103108591  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- मुजेड विचला थाना- तरबगंज  
जनपद- गोण्डा- 271401

पिष्यग:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य मे परित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशिक्षण हेतु पूर्व मे आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान मे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान मे उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व मे आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का आप दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमे अगले बैच मे भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मे योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 मे एकल न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे परित होने वाले अन्तिम निर्णय के आधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन गोण्डा परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री विकास शुक्ला पुत्र श्री सुरेन्द्र शुक्ला  
अनुक्रमांक- 143358330  
निवासी- ई0डी0-4 सेक्टर-बी अलीगंज थाना- अलीगंज  
जनपद- लखनऊ- 226024

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन विकास परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण विदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु दुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बैबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बैबसाइट पर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण विदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त रखेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों से सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तर्थों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री कमल नारायण पुत्र श्री दयाकिशन  
अनुक्रमांक- 149408986  
निवासी- म0नं0- 3/2637, जनक नगर पुराने होमगार्ड आफिस के पास थाना- जनकपुरी  
जनपद- सहारनपुर- 247001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में परित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्टर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्र संख्या:- पाँच-111(उपमहानिरीक्षक-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री राहुल यादव पुत्र श्री विजय बहादुर यादव  
अनुक्रमांक- 303168634  
निवासी- विश्वनाथ कला पोस्ट- रानीगंज थाना- रानीगंज  
जनपद- प्रतापगढ़- 230304

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपमोरो राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न. हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकत्र न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक 2019

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

आस्था गुप्ता पुत्री श्री राजाराम गुप्ता  
अनुक्रमांक- 203724933  
निवासी- हैदरगंज बिहकह उर्फ पूरामुफ्ती पोस्ट-मनौरी थाना- पूरामुफ्ती  
जनपद- प्रयागराज- 212208

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपरोक्त राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी 0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टक्कित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकत्र न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्वितीय सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उनिरोपनीय-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री अंकुर मलिक पुत्र श्री शशीभाजन मलिक  
अनुक्रमांक- 355493685  
निवासी- ग्राम -चान्दनहेड़ी पोस्ट व थाना- छपराली तहसील- बड़ौत  
जनपद- बागपत- 250617

विषय:- उपनिरीक्षक ना०प०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्भत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले दैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्वेच्छा अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार रुपान्तर प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपाठी, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

कु0 जैनब सिद्धिकी पुत्री श्री जुनैद अहमद  
अनुक्रमांक- 103712883  
निवासी- मो0- पुराखास, कौंधियारा थाना- करछना  
जनपद- प्रयागराज-212107

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये,जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है,यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पुसी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा मे,

श्री बृजेश कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह  
अनुक्रमांक- 201007615  
निवासी- नयावास उर्फ यकताजपुर थाना- गौड़ा  
जनपद- अलीगढ़- 202123

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीयों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपरोक्त राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन विकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये,जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है,यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अधीक्षण संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमानोपुसीभा-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री मयंक चौधरी पुत्र श्री आत्मपाल  
अनुक्रमांक- 301055392  
निवासी- म0नं0-103/85 प्रेमपुरी शामली रोड थाना- कोतवाली  
जनपद- मुजफ्फरनगर- 251001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान मे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले दैव में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियत स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निम0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक्षम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0प0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री शिखा पाल पुत्र श्री राकेश कुमार  
अनुक्रमांक- 349771288  
निवासी- इन्द्रा नगर लखनऊ रोड थाना- कोतवाली शहर  
जनपद- हरदोई- 241001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0प0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प0 राज्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0प0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्वात किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं भे पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर पर सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमीठोपुसीभ०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री विनय कुमार सिंह  
अनुक्रमांक- 203130297  
निवासी- ग्राम -काफरपुर पोस्ट- पतहना थाना- सरायखवाजा  
जनपद- जौनपुर-222001

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन विकास परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर टॅक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भूत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई अनिन्ताना/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उपनिवेशीय-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री रोहित तोमर पुत्र श्री वीरपाल सिंह  
अनुक्रमांक- 155494950  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- बिजरौल तहसील- बडौत थाना- बडौत  
जनपद- बागपत- 250611

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इत्तमाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेन अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उपनिवेशीकरण-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा मे,

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री करन सिंह  
अनुक्रमांक- 340288564  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- औता थाना- राठ  
जनपद- हमीरपुर- 210431

विषय:- उपनिवेशक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिवेशक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान मे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगते बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टिक्कित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निर्देशक अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, चिक्रकूट धाम परिक्षेत्र बादा परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री शिवम दीक्षित पुत्र श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित  
अनुक्रमांक- 143317465  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर, तहसील-छिबरामऊ थाना- बिशुनगढ़  
जनपद- कन्नौज- 209720

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये,जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी10 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साझ 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है,यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सेनेन्ड कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकत्र न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निर्देश उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिषेत को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करां लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक्षम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0निरोप0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री नेहा पाण्डेय पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक- 133744082  
निवासी- ग्राम -सुगौना पोस्ट- हरपुर बुदहट थाना- हरपुर  
जनपद- गोरखपुर-273209

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10. दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर टॅक्टिक कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्वेच्छा अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मे योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टव्यत त्रैनिंग सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उपनिवारीपुराम-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री गौरव कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक- 230228750  
निवासी- बी-201 पल्लवपुरम फेस-1 थाना- पल्लवपुरम  
जनपद- मेरठ- 250110

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मार्ग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उपरोक्त राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चिकित्सा सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी10 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
निर्णय पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई अनिन्तानिकता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पैच-111(उनिरोपीय-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री कुलदीप राणा पुत्र श्री इकबाल सिंह  
अनुक्रमांक- 155493151  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- निरपुड़ पट्टी साहवाणा थाना- दोघट  
जनपद- बागपत- 250625

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निवेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्वात किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टाँकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निवेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों से सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पॉच-111(उनिमित्तीप्रभारी-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

से. मे.

श्री डैनी सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह  
अनुकमांक- 201007629  
निवासी- गाम -करेका पोस्ट- चन्नफरी भौंरा गोरखा थाना- हुगलारा  
जनपद- अलीगढ़- 202001

विषय- उपनिरीक्षक ना०प००(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीयों का चयन परिणाम गा० ० उच्च न्यायालय हुलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या- 16160/2018 शिवानुगाम व अन्य बनाम ३०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन विकल्प परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भौंरा जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प०० वे पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्नगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भौंरा जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपनन्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका घयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियत स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णस्पेन अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भूत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या- 6540/स्स/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विशिष्ट रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तर्थों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमाप०सी०भ०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री सुधाकर विक्रम सिंह पुत्र श्री रविन्द्र बहादुर  
अनुक्रमांक- 249397494  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- सहजौरा थाना- गुरुबक्ष गंज  
जनपद- रायबरेली- 229122

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उप्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशिक्षण आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
निम्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिनोनापुसी०भ०-२०१६)२०१९ दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री वैभव मिश्रा पुत्र श्री विनोद मिश्रा  
अनुक्रमांक- 249374508  
निवासी- डी-146 बर्ग-8 पोस्ट व थाना- बर्ग  
जनपद- कानपुर नगर- 208027

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में परित अन्तिम निर्णय के अधीन विकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रश्ननगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णस्पेष्ट अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के परित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से परित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोयाफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिक दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिजनापुसीभा-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री सुखेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री दयाशंकर मिश्रा  
अनुक्रमांक- 249439272  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- भरहरी थाना- जुगौल  
जनपद- सोनभद्र- 231215

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।


कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निरीक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये। उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये, जिसमें अगले बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा। तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टक्कित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निरीक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ छण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुगमित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मिर्जापुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनिमानोप०सी०भ०-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री गौरव कुमार तिवारी पुत्र श्री अवधेश नन्दन तिवारी  
अनुक्रमांक- 349385929  
निवासी- ग्राम- निकट वर्मा काम्पलेक्स कोठी नं०-४, डान बास्को स्कूल काशीनगर  
थाना- कोतवाली सदर जनपद- लखीमपुर खीरी-261502

विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम ३०प्र० राज्य में परित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा प्रशिक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-२५७/२०१९/३००६ दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

उल्लेखनीय है कि आपको प्रशनगत आधारभूत प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित किये गये प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु आप निर्धारित समयावधि एक माह के अन्दर पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित नहीं हुये । उपस्थित न हो पाने का कारण दर्शाते हुये प्रेषित किये गये,जिसमें अगते बैच में भेजे जाने के अनुरोध किये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है,यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि से 10 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । तदोपरान्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे परित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)